

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 42/2023 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रोशन मोहम्मद पुत्र हफीज मो0 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
निवासी नंगपुरा, तहसील आसीन्द, अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी



अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11.09.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध प्राप्त हुई जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 534965 के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित किया। उक्त आवेदन पत्र से वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को अंतरित किया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा